

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558

website - tribal.cg.gov.in

E mail - prayas.ctd@gmail

क्रमांक / 136 प्रयास / 2024-25 / 6050

नवा रायपुर, दिनांक // / 09 / 2024


// सूचना पत्र //

विषय:- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2024 के संबंध में।

---000---

छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो उच्च व्यावसायिक संस्थानों जैसे-आई.आई.टी., एम्स, आई.आई.एम., एन.एल.यू. जैसे संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन कर रहे हैं उन्हें तात्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना प्रस्तावित की गई है।

अतः इस योजनांतर्गत पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन <https://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/Education-Prrotsahan-Scheme-Form> पर दिनांक.11 / 09 / 2024 से दिनांक 05 / 10 / 2024 तक किया जा सकता है।


आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय
गहानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
// अहमदाबाद //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /08/2023

110 AUG 2023

क्रमांक/एफ-16-10/2023/25-2: राज्य शासन एतद्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023 की स्वीकृति प्रदान करता है, जो संलग्न है।

2- इस स्वीकृति पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेट क्रमांक /एफ-2023-25-00328/बी-3 दिनांक 04.08.2023 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डी.डी.सिंह)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
अनुसूचित जाति विकास विभाग

पृ.क्रमांक /एफ-16-10/2023/25-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /08/2023
प्रतिलिपि:- 10 AUG 2023

- 1- माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 2- विशेष सहायक, मान0 मंत्री, आदिम जाति तथा अनु0 जाति विकास विभाग, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
 - 3- अवर सचिव, मुख्य सचिव सचिवालय, छ0ग0 शासन, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 4- सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 5- समस्त विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
 - 6- महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर
 - 7- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, नवा रायपुर अटल नगर छ0ग0
 - 8- संभागीय आयुक्त, रायपुर/विलासपुर/वरसूर/सरगुजा/दुर्ग
 - 9- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु0 जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के यू.ओ.क्रमांक 272 दिनांक 30-01-2023 के संदर्भ में सूचनार्थ।
 - 10- समस्त कलेक्टर छ0ग0
 - 11- समस्त सहायक आयुक्त, छ0ग0
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 12- आर्डर बुक.

अतिरिक्त

छत्तीसगढ़ शासन
अनुसूचित जाति विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष-2023

1. पृष्ठभूमि:- छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो उच्च व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों जैसे-IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान), AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), IIM (भारतीय प्रबंध संस्थान), NLU (भारतीय विधि संस्थान) जैसे संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन उपरान्त इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक तैयारियों यथा-यात्रा व्यय, कपड़े, आवास, भोजन, तात्कालिक फीस, इवाई आदि जैसे आवश्यक कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं होने से छात्र इन उच्च संस्थानों में प्रवेश से वंचित हो जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए सहायता हेतु राशि का प्रावधान किसी भी योजना में नहीं है। अतः ऐसे विद्यार्थियों को इन उच्च स्तरीय संस्थानों में प्रवेश का मार्ग सुगम करने हेतु तात्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तावित की जा रही है।

2. इस योजना अंतर्गत शामिल संस्थान:- इस योजना के अंतर्गत भारतवर्ष में स्थित निम्नांकित के संस्थान शामिल होंगे:-

- i. IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान)
- ii. AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान)
- iii. IIM (भारतीय प्रबंध संस्थान)
- iv. NLU (भारतीय विधि संस्थान)
- v. उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शैक्षणिक संस्थान जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के घोषित हों।
- vi. NEET प्रवेश परीक्षा के माध्यम से MBBS पाठ्यक्रम हेतु शासकीय संस्थान
- vii. JEE प्रवेश परीक्षा के माध्यम से B.Tech पाठ्यक्रम हेतु शासकीय NIT/IIT संस्थान

3. छात्रवृत्ति की राशि:- यह राशि एकमुश्त होगी जो संस्थान में प्रवेश के समय विद्यार्थी की आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जायेगी। यह राशि अधिकतम 50,000/- रुपये तक वार्षिक हो सकेगी। विद्यार्थी का संस्थान में प्रवेश उपरान्त समस्त वैध व्यय का दायक प्रमाणित कर विभागाध्यक्ष कार्यालय को संस्थान में प्रवेश के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्ति की राशि का दुरुपयोग करने/गलत जानकारी देने पर उक्त राशि विद्यार्थी एवं पालक से वसूली योग्य होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य विधिक कार्रवाही भी की जा सकेगी।

4. पात्रता:- योजना अंतर्गत छात्र हेतु पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं-

1. विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।
2. विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिये।
3. विद्यार्थी को उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिये।

5. आय-सीमा:- विद्यार्थी के पालक की आय का आर्थिक आधार निम्नानुसार होगा -

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय रुपये 2.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये।
2. शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होंगे किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

6. चयन की प्रक्रिया:- उपरोक्त योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थी को योजना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदनों का परीक्षण इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर राष्ट्रीय संस्थानों के महत्ता को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की संख्या निर्धारित की जायेगी। समान प्रकृति के संस्थानों हेतु छात्रवृत्ति हेतु चयन के लिए प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक को प्राथमिकता देते हुए चयन की कार्यवाही की जायेगी तथा समान अंक की स्थिति में कक्षा 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

उपरोक्त मेरिट परचात नपसल हिस्सा से हुए अनाथ बच्चे, अन्य अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे, विकलांग बच्चों को इसी क्रम में प्राथमिकता देते हुए सूची तैयार की जायेगी।

7. समिति की संरचना:- इस योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का परीक्षण निम्नांकित समिति के द्वारा किया जायेगा -

1. आयुक्त/संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग - अध्यक्ष
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग--सदस्य
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग--सदस्य
4. संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग - सदस्य
5. वित्त अधिकारी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग - सदस्य
6. योजना प्रभारी अधिकारी - सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति का दायित्व होगा कि योजना के प्रावधान अनुसार आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरोक्त पात्रता का निर्धारण कर बजट सीमा के अंतर्गत अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेगी।

राशि स्वीकृति एवं भगतान की प्रक्रिया:- राशि द्वारा चयन सूची के आधार पर जिस जिले का विद्यार्थी मूल निवासी होगा उस जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को राशि आवंटित की जायेगी। जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं चयनित विद्यार्थी के साथ संयुक्त बैंक खाता खोला जायेगा एवं उसमें राशि हस्तांतरित की जायेगी। विद्यार्थी द्वारा संस्थान में प्रवेश लेने के पूर्व मंदार राशि की आवश्यकता सहायक आयुक्त को प्रस्तुत की जायेगी। इसके आधार पर सहायक आयुक्त द्वारा आवश्यक राशि का परीक्षण कर तत्काल विद्यार्थी को सहायता उपलब्ध करायेगे एवं चयनित संस्थान में प्रवेश पश्चात् विद्यार्थी विभिन्न खर्चों का विवरण प्रमाणित कर सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। यदि चयनित विद्यार्थी द्वारा स्वयं का व्यय कर चयनित संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो तो विद्यार्थी द्वारा खर्चों का विवरण देयक सहित प्रस्तुत करने पर सहायक आयुक्त द्वारा परीक्षण उपरान्त उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित विद्यार्थी को की जायेगी।

9.

आवेदन की प्रक्रिया:- इस योजनांतर्गत दर्शित संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित संस्थान में प्रवेश की सूचना प्राप्त होते ही विद्यार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन कर एवं उससे संबंधित अभिलेख संलग्न कर 15 दिवस के अंदर आयुक्त/संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रवती भवन, नवा रायपुर को प्रस्तुत करना होगा।

10. वित्त योजन एवं बजट :- योजना के क्रियान्वयन पर होने वाला व्यय मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत मांग संख्या 41/64/66 मुख्यशीर्ष 2202 योजना क्रमांक 6682 पर विकलनीय होगा।

11. विवाद का निराकरण :- विवाद अथवा विवाद की स्थिति निर्मित होने पर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

(डी.जी.सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2024-25 के अंतर्गत
आवेदन पत्र

(कृपया सभी जानकारी अंग्रेजी में भरें)
(* अनिवार्य फ़िल्ड है)

आवेदक का नाम * Demo Student Name जन्म तिथि * 04/09/2020
आपकी उम्र तिथि - चार अंकों की हजार की संख्या में भरें

पिता का नाम * Demo father Name माता का नाम * Demo Mother Name

रक्त का मोबाइल नंबर * 9856321478 पिता/अभिभावक का मोबाइल नंबर * 9632587405

लिंग * पुरुष महिला ट्रांसजेंडर ईमेल-आईडी * Demo@ij.com

जाति/वर्ग * अनुसूचित जाति * सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी रणार्थ जाति प्रमाण पत्र * Choose File AprilMPRMukesh.pdf
Max file size 200KB (Only PDF)

क्या माता/पिता अथवा पालक खासजीब सेवा में कार्यरत हैं? * हाँ नहीं क्या माता/पिता अथवा पालक खासजीब सेवा में चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत हैं? * हाँ नहीं

माता/पिता अथवा पालक खासजीब सेवा में चतुर्थ श्रेणी नियुक्त एवं कार्यरत होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें * Choose File AprilMPRMukesh.pdf
Max file size 200KB (Only PDF) क्या माता/पिता अथवा पालक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक है? * हाँ नहीं

आप हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र * Choose File AprilMPRMukesh.pdf
Max file size 200KB (Only PDF)

क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? * हाँ नहीं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र * Choose File AprilMP...ukesh.pdf
Max file size 200KB (Only PDF)

पालक/आवेदक का स्थायी पता *
जिला * BASTAR विकासखंड * BAKAWAND
ग्राम/वार्ड * asdfreee पिन कोड * 123456
स्थायी पता * demo address

क्या पालक/आवेदक का स्थायी पता एवं वर्तमान पता एक ही है? * हाँ नहीं

संस्थान में प्रवेश हेतु अनुमानित/वास्तविक व्यय या राशि देयक है? * हाँ नहीं संस्थान में प्रवेश हेतु राशि है? * अनुमानित वास्तविक

क्र.	व्यय	राशि
1	घर से प्रवेश हेतु संस्थान तक जाने हेतु व्यय राशि	1000
2	यात्रा के दौरान अन्य व्यय राशि	2000
3	गणवेश का व्यय राशि	2997
4	दवा विक्रिता हेतु व्यय राशि	4000
5	संस्थान से प्राप्त पत्र के आधार पर तात्कालिक फीस हेतु व्यय राशि	5000
6	अन्य जो आवश्यक व्यय राशि हों	6000
	योग	20997

क्या आवेदक का परिवार नदसत हिंसा से पीड़ित है? * हाँ नहीं

क्या आवेदक के माता-पिता जीवित नहीं हैं? (अनाथ) * हाँ नहीं

क्या आवेदक विधवा माता के पुत्र/पुत्री है? * हाँ नहीं

क्या आवेदक दिव्यांग है*

हाँ नहीं

कक्षा 10वीं उत्तीर्ण के संबंध में*

उत्तीर्ण वर्ष*	कुल अंक*	अंक प्राप्त*	प्रतिशत	अंकसूची संलग्न करें*
2012-13	100	98	98.00	<input type="button" value="Choose File"/> AprilMPPRMukesh.pdf Max file size 200KB (Only PDF)

कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण के संबंध में*

उत्तीर्ण वर्ष*	कुल अंक*	अंक प्राप्त*	प्रतिशत	अंकसूची संलग्न करें*
2014-15	200	175	87.50	<input type="button" value="Choose File"/> AprilMPPRMukesh.pdf Max file size 200KB (Only PDF)

जिस विद्यालय से अंतिम कक्षा 2023-24 में उत्तीर्ण किया उस विद्यालय से प्रमाण पत्र ली प्रति संलग्न करें*

AprilMPPRMukesh.pdf
Max file size 200KB (Only PDF)

योजना-न्तर्गत शामिल संस्थान*

Other National Level Educationa...*

योजना की केंडिका-2 के अंतर्गत किस संस्थान में प्रवेश हुआ है?*

Demo Collage

चयनित संस्था में प्रवेश हेतु अलोटमेंट लेटर/फीस की पावती की प्रति संलग्न करें*

AprilMPPRMukesh.pdf
Max file size 200KB (Only PDF)

बैंक का नाम*

BANDHAN BANK

आईएफसी कोड*

BD0L0001551 - Branch Name - MALKHARODA

आवेदक का खाता क्रमांक*

123456

आवेदक का खाता क्रमांक कन्फर्म*

123456

खाता धारक का नाम*

Demo Student Name

पासबुक की प्रथम पृष्ठ जिसमें खाता धारक का विवरण होता है उसकी प्रति संलग्न करें*

AprilMPPRMukesh.pdf
Max file size 200KB (Only PDF)

टीप:- जो आवेदन फॉर्म में IFSC कोड एवं बैंक की जानकारी दी गयी है उसमें यदि IFSC कोड नहीं है तो हमें बैंक का नाम, IFSC कोड & पूर्ण पता हमें Prayas.ctd@gmail.com में ई-मेल करें।

आवेदक का फोटो* (.jpg & .jpeg file) student.jpg

File size max 20KB

हस्ताक्षर का फोटो* (.jpg & .jpeg file) sign.jpg

** File size max 20KB



टीप:- साक्ष्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का अपवादेन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है की मैंने द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी सही है तथा गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई तथा प्रदत्त राशि वसूली होगी। एवं मेरे द्वारा दिये गये खाते की जानकारी मेरी स्वच्छता से दी जा रही जिससे सम्बंधित मुझे आपत्ति नहीं है।*

Submit

Reset



आवेदन पत्र की पावती



[Signature]

आवेदन क्रमांक	A20240937400001	आवेदन दिनांक	05-09-2024
आवेदक का नाम	Demo Student Name	जन्म तारीख	04-08-2020
पिता का नाम	Demo father Name	माता का नाम	Demo Mother Name
स्वयं का मोबाइल नंबर	9856321478	पिता/अभिभावक का मोबाइल नंबर	9632587405
लिंग	पुरुष	ईमेल-आईडी	Demo@g.com

जाति/वर्ग	अनुसूचित जाति	सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र	दस्तावेज संलग्न है
क्या माता/पिता अथवा पालक शासकीय सेवा में कार्यरत है		हाँ	
क्या माता/पिता अथवा पालक शासकीय सेवा में चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत है *		हाँ	
माता/पिता अथवा पालक शासकीय सेवा में चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत होने की स्थिति में नियुक्त सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र *		दस्तावेज संलग्न है	
क्या माता/पिता अथवा पालक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक है?		हाँ	आय हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र
दस्तावेज संलग्न है			

क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है।	हाँ	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र	दस्तावेज संलग्न है
--	-----	---------------------------------------	--------------------

पालक/आवेदक का स्थायी पता जिला	BASTAR	विकासखंड	BAKAWAND
ग्राम/वार्ड	asdfreee	पिन कोड	123456
स्थायी पता	demo address		

क्या पालक/आवेदक का स्थायी पता एवं वर्तमान पता एक ही है	हाँ
--	-----

संस्थान में प्रवेश हेतु अनुमानित/वास्तविक व्यय या राशि है?	हाँ	संस्थान में प्रवेश हेतु राशि है?	अनुमानित
--	-----	----------------------------------	----------

क्र.	मद	राशि
1	घर से प्रवेश हेतु संस्थान तक जाने हेतु व्यय राशि	1000
2	यात्रा के दौरान अन्य व्यय राशि	2000
3	गणवेश का व्यय राशि	2997
4	दवा चिकित्सा हेतु व्यय राशि	4000
5	संस्थान से प्राप्त पत्र के आधार पर तात्कालिक फीस हेतु व्यय राशि	5000
6	अन्य जो आवश्यक व्यय राशि हो	6000
	योग	20997

क्या आवेदक का परिवार नक्सल हिंसा से पीड़ित है। नहीं

क्या आवेदक के माता-पिता जीवित नहीं है? (अनाथ) नहीं

क्या आवेदक विधवा माता के पुत्र/पुत्री है? नहीं



क्या आवेदक दिव्यांग है? नहीं

कक्षा 10वीं उत्तीर्ण के संबंध में:-

उत्तीर्ण वर्ष	2012-13	अंक प्राप्त	98
कुल अंक	100	प्रतिशत	98.00

कक्षा 10वीं अंकसूची दस्तावेज संलग्न है

कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के संबंध में:-

उत्तीर्ण वर्ष	2014-15	अंक प्राप्त	175
कुल अंक	200	प्रतिशत	87.50

कक्षा 12वीं अंकसूची दस्तावेज संलग्न है

जिस विद्यालय से अंतिम कक्षा 2023-24 में उत्तीर्ण किया उस विद्यालय से प्रमाण पत्र की प्रति दस्तावेज संलग्न है

योजनान्तर्गत शामिल संस्थान

Other National Level Educational Institutions

योजना की कंडिका-2 के अंतर्गत किस संस्थान में प्रवेश हुआ है?

Demo Collage

चयनित संस्था में प्रवेश हेतु अलोटमेंट लेटर/फीस की पावती की प्रति

दस्तावेज संलग्न है

बैंक का नाम	BANDHAN BANK	आईएफसी कोड	BDBL0001551
-------------	--------------	------------	-------------

ब्रांच का नाम	MALKHARODA VEER CHOWK, MALKHARODA, P.O - MALKHARODA, DIST. JANJGIR CHAMPA,	आवेदक का खाता क्रमांक	123456
---------------	--	-----------------------	--------

खाता धारक का नाम	Demo Student Name	पासबुक की प्रथम पृष्ठ जिसमें खाता धारक का विवरण होता है उसकी प्रति	दस्तावेज संलग्न है
------------------	-------------------	--	--------------------

प्रमाणित किया जाता है की मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी सही है तथा गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही तथा प्रदत्त राशि वसूलनीय होगी। एवं मेरे द्वारा दिये गये खाते की जानकारी मेरी स्वेच्छा से दी जा रही जिससे सम्बंधित मुझे आपत्ति नहीं है। *

Print Date - 05-09-2024

Back

Print this page

